भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2076

20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं

2076. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया वाहनों और कारों) में दोषपूर्ण बैटरी के कारण आग लग गई और वे जल गए तथा कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस घटना के बाद कुछ दोपहिया वाहन विनिर्माताओं ने वाहन वापस मंगाए हैं और उनमें से एक कंपनी ने वाहनों को वापस मंगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है;

(घ) क्या सरकार क्षतिग्रस्त वाहनों और लोगों की मृत्यु के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या बैटरी की अत्यधिक लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बहुत धीमी गति से हो रही है और प्रदूषण को नियंत्रित करने का उद्देश्य विफल हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार विनिर्माताओं से वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) **:** जी हां।

(ख) **:** महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुपालन के लिए केन्द्रीय मोटर

यान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा विद्युत वाहनों के प्रोटोटाइप/घटकों का परीक्षण किया जाता है।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आग लगने के मूल कारण की जांच करने और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु तथा नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम के स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक जांच टीम का गठन किया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और उसके घटकों, बीएमएस तथा संबंधित प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानक तैयार करने का सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 28 सितंबर, 2022 के सा.आ. 4567 (अ) के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों, एआईएस: 156 [इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की एल श्रेणी के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं (चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकल)] और एआईएस: 038 (आरईवी 2) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की एल, एम और एन श्रेणी की कर्षण बैटरी के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए [इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की एम श्रेणी (यात्री को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) एन श्रेणी (वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं] में संशोधन किये हैं। उक्त संशोधन 1 दिसंबर, 2022 से लागू हैं और इन एआईएस मानकों के कुछ खंड 31 मार्च, 2023 से प्रभावी होंगे।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्वाड्रीसाइकिल, ई-रिक्शा, दुपहिया और चौपहिया वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के संबंध में उत्पादन की अनुरूपता की आवश्यकताओं के लिए दिनांक 25 अगस्त 2022 को सा.का.नि. 659 (अ) के माध्यम से मसौदा अधिसूचना जारी की थी।

(ग) : महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, मंत्रालय द्वारा बार-बार कहे जाने के बाद निम्नलिखित विनिर्माताओं ने वाहनों को वापस मंगवा लिया है:-

(i) ओकिनावा ने 16 अप्रैल, 2022 को 3215 वाहन इकाइयों को वापस मंगवाया है।
(ii) प्योर ईवी ने 21 अप्रैल, 2022 को 2000 वाहन इकाइयों को वापस मंगवाया है।
(iii) ओला इलेक्ट्रिक ने 23 अप्रैल, 2022 को 1441 वाहन इकाइयों को वापस मंगवाया है।

(घ) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) : जी हां। आंतरिक दहन (आईसी) इंजन वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत अत्यधिक होना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में धीमेपन के कारणों में से एक है।

(च) : जी हां, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन स्कीमें तैयार की गई हैं-

i. **भारत में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) :** सरकार ने फ़ेम इंडिया स्कीम के चरण-II को प्रारंभिक तौर पर 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से अधिसूचित किया है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को दिनांक 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया है। इलेक्ट्रिक वाहन इस पीएलआई स्कीम के दायरे में शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम**: सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में देश में 30 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

****